

## हरियाणा सरकार ने 10 गाँवों को मिलाकर नई नगर परषिद, पटौदी-मंडी बनाने की घोषणा की चर्चा में क्यों?

14 अगस्त, 2022 को हरियाणा सरकार ने पटौदी नगर पालिका तथा हेलीमंडी नगर पालिका (राजस्व संपदा जाटौली) तथा आसपास के 10 गाँवों को मिलाकर नगर परषिद, पटौदी-मंडी बनाने की घोषणा की है। इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

### प्रमुख बटु

- जारी अधिसूचना के अनुसार गाँव नरहेड़ा, जनौला, रामपुर, छावन, मलिकपुर, मरिजापुर, मुबारकपुर, देवलावास, हेड़ाहेड़ी तथा खानपुर इस नए नगर परषिद, पटौदी-मंडी का हस्सिा होंगे।
- पटौदी-मंडी नगर परषिद बनाने पर पटौदी के वधियक सत्यप्रकाश जरावता ने कहा कि आखरिकार आजादी के 75 वर्ष बाद गुलामी के प्रतीक हेली शब्द से मुक्ती मिली है। लोगों का कहना था कि हेली एक अंगरेज गवरनर था। उसके नाम से नगर का नाम उचित नहीं है। अब नए नगर परषिद का गठन होने से यह वविाद समाप्त हो गया है।
- नई सीमाओं की जानकारी उत्तर-बटु 'ए' जो कनिगरपालिका, हेलीमंडी (राजस्व संपदा जाटौली), ग्राम लुहारी तथा फरीदपुर का त्रिमलिन है, से आरंभ होकर पूरव की तरफ नगरपालिका हेलीमंडी (राजस्व संपदा जाटौली) की उत्तरी सीमा के साथ तथा ग्राम फरीदपुर, महचाना तथा खंडेवला की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बटु 'बी' तक होगी जो कनिगरपालिका, हेलीमंडी, ग्राम खंडेवला तथा रामपुर की राजस्व सीमाओं का त्रिमलिन है।
- इसके उपरांत बटु 'बी' से पूरव दक्षिण की तरफ ग्राम रामपुर की उत्तरी सीमा के साथ तथा ग्राम खंडेवला, जाटौला तथा जोड़ी की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बटु 'सी' तक होगी जो कनिगरपालिका, रामपुर, जोड़ी तथा जनौला की राजस्व सीमाओं का त्रिमलिन है।
- बटु 'सी' से पूरव की तरफ ग्राम जनौला की उत्तरी सीमा के साथ तथा ग्राम जोड़ी तथा घोषगढ की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बटु 'डी' तक होगी जो कनिगरपालिका, घोषगढ तथा नरहेड़ा की राजस्व सीमाओं का त्रिमलिन है।
- बटु 'डी' से पूरव की तरफ ग्राम नरहेड़ा की उत्तरी सीमा के साथ तथा ग्राम घोषगढ तथा नरहेड़ा की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बटु 'ई' तक होगी जो कनिगरपालिका, घोषगढ और भौड़ा कला की राजस्व सीमाओं का त्रिमलिन है।
- पूरव-बटु 'ई' से दक्षिण की तरफ ग्राम नरहेड़ा की पूरव सीमा के साथ तथा ग्राम भौड़ाकला तथा ऊँचा माजरा की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बटु 'एफ' तक होगी जो कनिगरपालिका, नरहेड़ा, ऊँचा माजरा तथा बाँस पदमका की राजस्व सीमाओं का त्रिमलिन है।
- बटु 'एफ' से पश्चिम की तरफ ग्राम नरहेड़ा की दक्षिण सीमा के साथ तथा ग्राम बाँस पदमका, बडि खुरद की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बटु 'जी' तक जो कनिगरपालिका, नरहेड़ा, बडि खुरद तथा नगरपालिका, पटौदी की राजस्व सीमाओं का त्रिमलिन है।
- बटु 'जी' से दक्षिण की तरफ नगरपालिका, पटौदी की पूरव सीमा के साथ तथा ग्राम बडि खुरद तथा बास पदमका की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बटु 'एच' तक जो कनिगरपालिका पटौदी, ग्राम बाँस पदमका तथा मुमताजपुर की राजस्व सीमाओं का त्रिमलिन है।
- दक्षिण-बटु 'एच' से पश्चिम उत्तर की तरफ नगरपालिका, पटौदी की दक्षिण सीमा के साथ तथा ग्राम मुमताजपुर तथा लोहाका की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बटु 'आई' तक जो कनिगरपालिका पटौदी, ग्राम लोहाका तथा हेड़ाहेड़ी की राजस्व सीमाओं का त्रिमलिन है।
- बटु 'आई' से दक्षिण की तरफ ग्राम हेड़ाहेड़ी के पूरव-दक्षिण सीमा के साथ तथा ग्राम लोहाका, मुमताजपुर तथा हांसाका की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बटु 'जे' तक जो कनिगरपालिका हेड़ाहेड़ी, खानपुर तथा हांसाका की राजस्व सीमाओं का त्रिमलिन है।
- बटु 'जे' से दक्षिण-पश्चिम की तरफ ग्राम खानपुर की पूरव-पश्चिम सीमाओं के साथ तथा ग्राम हांसाका, नानुकलां, गोरधियावास तथा खोड़ की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बटु 'के' तक जो कनिगरपालिका हेड़ाहेड़ी, खानपुर तथा खोड़ की राजस्व सीमाओं का त्रिमलिन है।
- पश्चिम-बटु 'के' से पश्चिम की ओर ग्राम हेड़ाहेड़ी तथा नगरपालिका, पटौदी की दक्षिण सीमाओं के साथ ग्राम खोड़ की राजस्व सीमा के साथ-साथ बटु 'एल' तक जो कनिगरपालिका, पटौदी, ग्राम छावन तथा खोड़ की राजस्व सीमाओं का त्रिमलिन है।
- बटु 'एल' से पश्चिम की तरफ ग्राम छावन के दक्षिण सीमा के साथ तथा ग्राम खोड़ तथा रणसिका की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बटु 'एम' तक जो कनिगरपालिका, छावन रणसिका तथा मलिकपुर की राजस्व सीमाओं का त्रिमलिन है।
- बटु 'एम' से उत्तर की तरफ ग्राम मलिकपुर की पश्चिम सीमा के साथ तथा ग्राम रणसिका, इँछापुरी तथा शाहपुरजाट की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बटु 'एन' तक जो कनिगरपालिका, शाहपुरजाट तथा नगरपालिका हेलीमंडी (राजस्व संपदा जाटौली) की राजस्व सीमाओं का त्रिमलिन है।
- बटु 'एन' से उत्तर की तरफ नगरपालिका हेलीमंडी की पश्चिम सीमा के साथ तथा ग्राम शाहपुरजाट, मुजफरा, राजपुरा, लुहारी की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बटु 'ए' तक जो कनिगरपालिका बटु है।

